प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक – 36 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 13 – 20 सितम्बर 2021 मूल्य पांच रुपए

उपचुनावों के गिर्द केन्द्रित हुई प्रदेश की राजनीति–करवाना टालना बनी समस्या

- टर्म पूरी करने के लिये उपचुनाव अनिवार्य
- उपचुनावों की एक भी हार कुर्सी के लिये होगी घातक
- उपचुनावों से बचने के लिये फरवरी में आम चुनाव करवाना होगी मजबूरी

शिमला/शैल। कई प्रदेशों में उपचुनाव टालने, गुजरात में भाजपा द्वारा अचानक मुख्यमंत्री बदलने और नये मुख्यमंत्री द्वारा पुराने मन्त्री मण्डल के एक भी मन्त्री को अपनी टीम में जगह न देने तथा अब पंजाब में कांग्रेस द्वारा दलित को मुख्यमन्त्री बनाये जाना ऐसे राजनितिक घटनाक्रम हैं जिनसे केन्द्र से लेकर हर राज्य की राजनीति प्रभावित हुई है। उप चुनाव छः माह के भीतर होने अनिवार्य है यदि स्थान खाली होने के समय आम चुनाव के लिये कुल समय ही एक वर्ष से कम बचा हो तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग केन्द्र सरकार से चर्चाकर के ऐसे चुनावों को छः माह से अधिक समय के लिये टाल सकता है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के किसी भी रिक्त स्थान के लिये उपचुनाव टालना असंभव है। यही स्थिति उन राज्यों की है जिनमें 2022 के दिसम्बर में आम चुनाव होने है। इसलिये जब ऐसे राज्यों में उपचुनाव टाले गये हैं तो स्वभाविक है कि इन राज्यों के आम चुनाव 2022 के शुरू में ही उतर प्रदेश और पंजाब के साथ ही फरबरी–मार्च में ही करवाकर संवैधानिक संकट से बचा जा सकता है। अन्यथा इन राज्यों के उपचुनाव अभी अक्तूबर में ही हो जाने चाहिये थे जो नही हुए। इसलिये यह तय है कि हिमाचल और गुजरात में समय पूर्व ही आम चुनाव करवा लिये जायेंगे। अभी चार अक्तूबर को चुनाव आयोग फिर से बैठक करने जा जा रहा है। इस बैठक में उपचुनावों पर फिर से फैसला लिये जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि दिल्ली दरबार ने प्रदेश सरकार के उपचुनाव टालने के फैसलें पर खासी नाराजगी जाहिर की है। अब यदि उपचुनाव करवाने का फैसला लिया जाता है तो प्रशासन को कहना पडेगा कि उसका पिछला फैसला सही नहीं था। यह कहना पडेगा कि कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है। जबकि मंडी में ही इसका आंकड़ा बड़ गया है। अध्यापक और बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित पाये गये हैं। ऐसे में यह उपचुनाव गले की फांस बन गये हैं। एक भी उपचुनाव में हार कुर्सी के लिए खतरा बन सकती है।

गुजरात में मुख्यमन्त्री का बदलना और नयी टीम में पुराने एक भी मन्त्री को नही लिया जाना भाजपा का आज की राजनीति का स्पष्ट संकेत है। क्योंकि गुजरात वह प्रदेश है जिससे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और गृह मन्त्री अमित शाह ताल्लुक रखते हैं और उन्ही के नाम पर वहां वोट पड़ते हैं। ऐसे में गुजरात में हुए इस परिवर्तन का भाजपा शासित अन्य राज्यों के मुख्यमन्त्रीयों को भी सीधा संकेत है कि यदि उनकी चुनावी क्षमताओं पर दिल्ली दरबार को जरा सा भी शक हुआ तो वहां भी नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है। इसी कारण से हिमाचल में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं उठनी शुरू हो गयी हैं। हिमाचल में इस सरकार द्वारा लिया गया कर्ज चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनेगा यह तय है। क्योंकि जब मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने मार्च 2018 को अपना पहला बजट भाषण सदन में रखा था तो उसमें पूर्व की वीरभद्र सरकार पर अपने कार्यकाल में अठारह हजार करोड़ से अधिक का कर्ज लेकर प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में घकेलने का आरोप लगाया था। दिसम्बर 2017 में सरकार का कर्ज 46000 करोड हो जाने को बहुत बड़ा मुद्दा बताया था। परन्तु आज यही कर्ज अब ही 70,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। जबकि अभी एक बजट इस कार्यकाल का आना बाकि है। इसलिए आने वाले समय में यह सवाल पूछा जायेगा कि इस कर्ज का निवेश कहां हुआ। आज बेरोजगारी से तंग आकर प्रशिक्षित ए एन एम संघ हड़ताल पर है। करूणामूलक आधार पर नौकरी मांगने वाले 55 दिन से हड़ताल पर है। पूर्व सांसद और मंत्री राजन सुशांत की पार्टी पेंशन योजनाओं को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर है। मुख्यमंत्री वही दो बार जा आये हैं। परंतु सुशांत और उनके हड़ताल पर बैठे उनके कार्यकताओं की बात सुनने तक उनके पास नहीं गये हैं। डॉ. सुशांत मुख्यमंत्री पर असंवेदनशील और अनुभवहीन होने का आरोप लगा चुके हैं। चुनावों की पूर्व संध्या पर किसी भी सरकार के लिए इस तरह आंदोलन कोई शुभ संकेत नहीं माने जा सकते।

ऐसे परिदृश्य में पडोसी राज्य पंजाब में दलित मुख्यमन्त्री का आ जाना भी राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करेगा। क्योंकि 2014 से लेकर आज 2012 तक हुई भीड़ हिंसा की घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग दलित और मुस्लिम समुदाय ही रहा है। हिमाचल के हर जिले मे दलितों के साथ ज्यादतीयां होने के किस्से सामने आये हैं। कुल्लु में दलित दंपति के साथ हुई मारपीट पर कोई कारवाई न होने को कांग्रेस मुद्दा बना चुकी है। दलित मुद्दों की आवाज उठाने वाले दलित एक्टिविस्ट कर्मचन्द भाटिया पर देशद्रोह का मुकद्दमा बना दिया जाना ऐसे सवाल होंगे जो आगे पूछे ही जायेंगे। हिमाचल में दलितों की आबादी 28: है। यहां के दलित मन्त्री को मुख्यमन्त्री के गृह जिला में ही मन्दिर में प्रवेश नही करने दिया गया था। क्या दलित समाज अपने साथ हुई ज्यादतीयों पर सवाल नही उठायेगा? क्योंकि अभी तक दलित उत्पीड़न के एक भी मामले में सिरमौर से लेकर चम्बा तक किसी दोषी को सजा नही मिली है क्योंकि सरकार इन मामलों पर कभी गंभीर नही रही है।

आज भाजपा शासित किसी भी राज्य में न तो दलित और न ही कोई महिला मुख्यमन्त्री है। हिमाचल में महिलाएं 52% है यह प्रधानमन्त्री ने ही पिछले दिनों एक बातचीत में स्वीकारा है। दलित 28% हैं और आज इस 80% का प्रदेश नेतृत्व कितना प्रभावी है यह सभी के सामने है। कांग्रेस ने पंजाब में दलित मुख्यमन्त्री बनाकर पूरे देश को संदेश दिया हैं। कांग्रेस अध्यक्ष स्वंय महिला हैं। ऐसे में राजनीतिक हल्कों में यह चर्चाएं बल पकड़ती जा रही है कि क्या भाजपा कांग्रेस के दलित कार्ड का जबाव राज्यों में महिला मुख्यमन्त्री लाकर देगी और इसकी शुरूआत हिमाचल से ही हो सकती है। हिमाचल में 1977 के बाद कभी कोई सरकार 1985 को छोड़कर पुनः सत्ता में वापसी नही कर पाई है। लेकिन भाजपा ने 2014 और फिर 2019 में प्रदेश की सारी लोकसभा सीटों पर कब्जा करके एक अलग इतिहास रचा है। शायद इसी का परिणाम है कि आज भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हिमाचल से ताल्लुक रखने वाला है। इस समय मूख्यमन्त्री जयराम ठाकुर को सबसे ज्यादा संरक्षण नड्डा का ही हासिल है। यह प्रदेश का हर आदमी जानता है। इसलिये यदि इस बार जयराम सरकार सत्ता में वापसी नही कर पाती है तो इसके लिये सबसे ज्यादा दोष नड्डा के सिर पर ही आयेगा। इस समय जिस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में घटती जा रही हैं उनके परिदृश्य में आने वाला समय बहुत कुछ अप्रत्याशित सामने ला सकता है ऐसा माना जा रहा है। आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार के मामलों पर पड़े हुए परदे जब उठनक लगेंगे तो उससे बहुत कुछ प्रभावित होगा।

विश्व बैंक और आर्थिक मामले विभाग ने प्रदेश को 1168 करोड़ की वित्तीय सहायता समैझोते को मंजूरी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने शिमला जलापूर्ति एवं मल निकासी सेवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत 160 मिलियन डॉलर (1168 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के साथ प्रदेश सरकार ने समझौते को अंतिम रूप दिया। प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान सचिव शहरी विकास रजनीश की अध्यक्षता में समझौता समिति ने इसमें भाग लिया।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में शहरी विकास विभाग की ओर से ग्रेटर शिमला क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति और मल निकासी सेवाओं के लिए 250 मिलियन डॉलर (1825 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक और आर्थिक मामले मंत्रालय के बीच होने वाले समझौता पैकेज को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें से विश्व बैंक 160 मिलियन डॉलर (1168 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष 90 मिलियन डॉलर (657 करोड़ रुपये) हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नगर निगम शिमला में चौबीसों घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाना और सीवरेज सुविधा का सुदृढ़ीकरण है। परियोजना के अन्तर्गत सतलुज नदी से शिमला पेयजल आपूर्ति योजना का संवर्द्धन कर वर्ष 2050 तक 67 एमएलडी अतिरिक्त जल की मांग को पूरा किया जाना है।

शिमला के साडा के अन्तर्गत आने वाले उप-नगरीय क्षेत्रों जैसे कुफरी, शोघी, घणाहट्टी इत्यादि में पेयजल की समुचित आपूर्ति एवं वर्ष 2050 तक इन क्षेत्रों की अतिरिक्त योजना शामिल है। नगर निगम शिमला के अन्तर्गत सभी घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे पेयजल आपूर्ति तथा नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

परियोजना के अन्तर्गत गांव सुन्नी तहसील के अंतर्गत शकरोड़ी गांव के नजदीक सतलुज नदी से पानी उठाया जाएगा। इसके अंतर्गत 1.6 किलोमीटर ऊंचाई तक पानी उठाने के बाद 22 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर शिमला के संजौली उप-नगर तक 67 एमएलडी पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना के माध्यम से नगर निगम शिमला क्षेत्र के अन्तर्गत आपूर्ति पाइपलाइन नेटवर्क का संवर्द्धन कर इसे चौबीसों घंटे आपूर्ति के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैहली, पंथाघाटी, टूटू और मशोबरा क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा प्रदान की जाएगी। इस परियोजना को वर्ष 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार की इस फ्लैगशिप परियोजना के माध्यम से वर्ष 2050 तक शिमला शहर की पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था की मांग पूरी की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग कोविड महामारी से उत्पन्न कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद विश्व बैंक और वित्त मंत्रालय से यह सहायता प्राप्त करने में सफल हुआ है। समझौते से संबंधित प्रोग्राम अप्रेजल दस्तावेज अब अन्तिम स्वीकृति के लिए विश्व बैंक के बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे और एक माह के भीतर यह प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना है। यह परियोजना शिमला शहर में पेयजल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण में मील पत्थर साबित होगा। यह सहायता राशि 1 जनवरी, 2022 से मिलना आरम्भ हो जाएगी और पांच वर्षों के लिए फंडिंग की जाएगी।

जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को 71वें जन्मदिन पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 71वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि उनके सक्षम और गतिशील नेतृत्व में देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लोगों विशेषकर समाज के गरीब वर्गो के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर सकें।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कमला नेहरू अस्पताल, शिमला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर मरीजों को फल और मिठाइयां वितरित की।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बस आपरेटर संघ की जायज मांगो पर विचार किया जाएगा:परिवहन मंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश निजी बस आपरेटर संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राजेश पराशर के नेतृत्व में शिमला में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह से भेंट की।

इस अवसर पर आयोजित बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

परिवहन मंत्री ने निजी बस आपरेटर संघ को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को संघ की मांगों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और अतिरिक्त आयुक्त एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण घनश्याम चंद भी उपस्थित थे।

मज़बूत संगठन के बल पर भाजपा 2022 में फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी: रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। प्रदेश और केंद्र सरकार की अनेकों उपलब्धियों के दम पर और बूथ स्तर तक मज़बूत संगठन के बल पर भाजपा 2022 के विधानसभा चुनावों में फिर प्रदेश में भाजपा मजबूत सरकार बनाएगी। भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोर्ड रणधीर शर्मा ने कहा। उन्होने कहा कि कांग्रेस नेता जो ब्यानबाज़ी कर रहे है वो पूरी तरह से आधारहीन और तत्यहीन है। उन्होंने कहा हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सशक्त नेतृत्व में पिछले 4 साल में सहरानीय विकासात्मक कार्य किए है और अनेकों उपलब्धियां दर्ज की है।

शर्मा ने कहा कि कोरोना काल मे प्रदेश सरकार द्वारा बहेतर प्रबंधन कर आम जन मानस को इस वैश्विक महामारी से बचने का काम किया है। कोरोना से पूर्व हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट था, आज हमारे पास 28 ऑक्सीजन प्लांट जिसका पूरा श्रेय जयराम सरकार को जाता है।

हिमाचल में पहले 800 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर थे की वर्तमान में हिमाचल के पास 4800 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर है यह सरकार की जबरदस्त उपलब्धि है।

इसके अलावा हिमाचल ने सबसे पहले सभी पात्र लोगों को वैक्सीन लगा कर देश मे प्रथम आने का रिकार्ड स्थापित किया है, और कम वैक्सीनशन व्यर्थ करने में भी प्रथम स्थान अर्जित किया है।

रणधीर शर्मा ने कहा की केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे उज्वला, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, जन धन, मुद्रा एवं अनेक योजनाओं का सफल किर्यान्वन कर लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया गया है।

सड़को पुलों का निर्माण, पीने के प्रोजेक्ट एवं मूलभूत सुविधा हमारी जयराम सरकार जनता को प्रदान करने में अग्रिम रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों से बौखला कर कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार पर तत्यहीन और निराधार आरोप लगाने का काम कर रहे है। कांग्रेस पार्टी के नेताओ को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए।

निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया सम्मानित

शिमला/शैल। कोविड टीकाकरण और पोषण के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के शिमला स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो (एफओबी) का चार दिवसीय

जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसअभियान के अन्तर्गत शिमला के आरकेएमवी कॉलेज में कोरोना टीकाकरण और पोषण माह विषय पर निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिताओं में कालेज की छात्राओं मधु, नीति नेगी और चेरिंग को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान निबंध प्रतियोगिता में प्राप्त हुआ और पेंटिंग प्रतियोगिता में सपना, रूचिक और शालिनी को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इन सभी विजेताओं को आरकेएमवी कॉलेज की प्रिंसिपल नवइंदू शर्मा द्वारा पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से आईं हेल्थ एजूकेटर संजना ने छात्राओं को कोरोना से बचने के उपाय बताए और साथ ही उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त कोरोना टीकारकरण अभियान के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में छात्राओं को शिमला की सीडीपीओ ममता ने पोषण अभियान की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को महिलाओं में सही पोषण न मिलने के कारण होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी। और उन्हें सलाह दी कि वह पोषण युक्त भोजन अपने आहार में शामिल करें।

इस जागरुकता कार्यक्रम के अंतर्गत एफओबी शिमला के कलाकारों ने आरकेएमवी कॉलेज में नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से छात्रओं और लोगों को कोरोना टीकाकरण और बच्चों , गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को सही पोषण देने के प्रति जागरूक किया।

विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा को एक्वा फाउंडेशन बांध सुरक्षा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड

-2021 से सम्मानित किया गया है।

यह अवार्ड उन्हें 14 से 17 सितंबर, 2021 तक नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जा रही पंद्रहवीं विश्व एक्वा कांग्रेस और बांध सुरक्षा सम्मेलन के दौरान दिया गया।

बांध सुरक्षा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देश में बांध सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तित्व को प्रदान किया जाता है। इससे पूर्व शर्मा अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2020 तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। इस वर्ष विश्व एक्वा कांग्रेस का विषय वेल्यूइंग वाटर है। एक्वा फाउंडेशन ने शर्मा के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की है। शर्मा ने बीबीएमबी में अपने कार्यकाल के दौरान बांध सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति के प्रबंधन, जलाशयों के संचालन और पानी व बिजली के वितरण के अतिरिक्त गत चालीस वर्षों के दौरान जल संसाधन, बांध इंजीनियरिंग और ऊर्जा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

देवेन्द्र कुमार शर्मा ने इस पुरस्कार के लिए एक्वा फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया और पुरस्कार को अपनी टीम के सदस्यों को समर्पित किया, जिन्होंने उनके 40 वर्ष के कार्यकाल के दौरान चुनौतीपूर्ण कार्य किए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पुरस्कार छोटे शहरों और गांवों से बड़े सपने देखने वाले युवा पेशेवरों को भी प्रेरित करेगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रीना
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

Phone No. 01905- 222172
E-Mail: ee-elem-hp@nic.in

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The **Executive Engineer, Electrical Division, HP.PWD, Mandi HP** on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in electronic tendering system for the following works from OEM of Lifts / Authorised agency of OEM (Lifts) having similar work experience

Sr.No.	Name of Work	Estimated cost (In Rs.)	Starting Date of downloading Bid	Earnest Money (In Rs.)	Deadline for submission of Bid
1.	Repair, maintenance and service of Passenger elevators (Nineteen Nos.) KONE make installed in Shri lal Bahadur Shastri Govt Medical College and Hospital, Nerchowk for four months	Rs. 903489/-	25.09.2021 at 10.00 A.M	Rs. 18100/-	29.09.2021 at 10.00 A.M

The tenders will be opened on 29.09.2021 at 11.30 A.M (Technical bid followed by financial bid) The bidders are advised to note other details of e-tenders and Technical Qualification Criteria from the department website www.hptenders.gov.in.

Adv. No. 4171/21-22 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों के दस्तावेज बनाने पर बल दिया

शिमला/शैल हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर विधानसभा पुस्तकालय कक्ष में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य की

विकास यात्रा में सभी प्रदेशवासियों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौरवशाली विकास यात्रा उपलब्धियों से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य बनता है कि राज्य की इस विकासात्मक यात्रा के बारे में नई पीढ़ी को शिक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य ने अपनी 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए राज्य के प्रमुख विभागों द्वारा 51 कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह सम्भव नहीं हो पाया। अब प्रदेश सरकार ने राज्य की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा आयोजित करने की योजना बनाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों के लिखित दस्तावेज बनाए जाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को राज्य की इस महत्वपूर्ण यात्रा की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल सके। उन्होंने राज्य के लोगों से हिमाचल को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों स्वर्गीय डॉ. यशवन्त सिंह परमार, राम लाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों शांता कुमार और प्रो. प्रेम कुमार धूमल का भी आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश विधानसभा के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने दूरदर्शन के अधिकारियों को प्रदेश के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर वृत्तचित्र तैयार करने को कहा।

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश को अलग पहचान और आकार प्रदान करने में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवन्त सिंह परमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिससे राज्य के सभी लोगों को स्वयं की पहचान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने में इसके पश्चात के सभी मुख्यमंत्रियों का भी अमूल्य योगदान रहा है।

संसदीय कार्य मामले मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी, 1971 को भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि तब से राज्य ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है।

इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 50 वर्षों के दौरान विकास के सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 100 वर्ष पूर्व इसी गरिमामयी सदन में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ था जो वास्तव में प्रदेश के लोगों के लिए गर्व का क्षण था।

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मंत्रिगण, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायक इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्य तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़े:उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल (एसोचैम) की हिमाचल प्रदेश राज्य विकास परिषद के अध्यक्ष जितेन्द्र सोढ़ी ने शिमला में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह से भेंट की।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में औद्योगिकरण को विशेष बढ़ावा देते हुए निवेश के लिए नए द्वार खोले है। राज्य तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वन से प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। इज ऑफ डूंइग बिजनेज में प्रदेश को देश भर में सातवां स्थान प्राप्त हुआ है तथा सुधारों के संदर्भ में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अग्रणी राज्य बना है।

उद्योग मंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से एसोचैम को हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

जितेन्द्र सोढ़ी ने एसोचैम की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि एसोचैम राज्य विकास परिषद प्रदेश के युवाओं के उद्यमिता विकास के लिए उद्यमिता एवं नवाचार केन्द्र खोलने के लिए प्रयासरत है। इस केन्द्र के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाएंगे। राज्य विकास परिषद शीघ्र ही प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन करेगी तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

स्कूलों में छठीं, सातवीं और आठवीं के विद्यार्थियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा:शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने में अग्रणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य के 240 और विद्यालयों में छठीं, सातवीं और आठवीं के विद्यार्थियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न हितधारकों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अध्यापकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान कर रहे आईटी अध्यापकों के मानदेय को 500 रुपये बढ़ाने सम्बन्धी मामला मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाएगा। प्रदेश के वोकेशनल अध्यापकों का वेतन 15000 रुपये से बढ़ाकर 19000 रुपये किया गया है। उन्होंने अध्यापकों की एसीआर से सम्बन्धित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि उर्दू और पंजाबी की शिक्षा अर्जित करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए प्रदेश के कुछ विद्यालयों में इन विषयों के अध्यापक उपलब्ध करवाए जाएंगे। आधुनिक समय में योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्लस्टर विद्यालयों में योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए मनोविज्ञान और अन्य विषयों सम्बन्धी अध्यापकों को डाइट के अन्तर्गत विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षक वर्ग को स्टार योजना के अन्तर्गत लीडरशिप ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी समस्या को देखते हुए डिजिटल तकनीक के माध्यम से दूर-दराज में स्थित विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर ई-रिर्सोस तैयार किए जाएंगे जिन्हें विद्यार्थियों के लिए स्वयं जैसे ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने शैक्षणिक सत्र-2021-22 के लिए तीसरी, पांचवीं, आठवीं, नवीं से बारहवीं कक्षा की परीक्षा तथा मूल्यांक सम्बन्धी प्रारूप प्रस्तुत किया।

सचिव शिक्षा राजीव शर्मा, निदेशक उच्चत्तर शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा डॉ. पंकज ललित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सरकार उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध:राजिन्द्र गर्ग

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने बताया कि विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदानित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को गन्दम के स्थान पर फोर्टिफाइड गंदम आटा उपलब्ध करवा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है तथा उन्हें अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। इसके मद्देनजर विभाग द्वारा अप्रैल, 2021 से 15 सितम्बर, 2021 तक गन्दम आटे के 350 सैम्पलों का एकत्रण किया गया, जिसमें से 343 सैम्पल निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये गये तथा 13 सैम्पल निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाए गए।

निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाए गए सैम्पलों के सन्दर्भ में दोषियों के विरुद्ध हि. प्र. विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार कड़ी कारवाई करते हुए 1,04,000 रुपये की प्रतिभूति राशि मिल एवं डिपो होल्डरों से जब्त कर सरकारी कोष में जमा करवाई गई तथा सम्बन्धित मिलों के गन्दम के मासिक आंवटन में कटौती भी की गई। इसके अतिरिक्त एक निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को अपने कार्य में कोताही बरतने एवं नमूनों के एकत्रण के दिशा-निर्देशों का सही ढंग से पालन न करने पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा निलंबित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से रोपवे और परिवहन के अपरंपरागत तरीकों पर जीएसटी घटाने का आग्रह किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि पांच प्रतिशत जीएसटी के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की श्रेणी में रोपवे और परिवहन के अन्य अपरंपरागत तरीकों से संबंधित एक विशिष्ट प्रविष्टि को जोड़कर जीएसटी परिषद् को जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने पर विचार करना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अवगत कराया है कि राज्य सरकार ने यात्रियों और सामान के परिवहन के लिए रोपवे की अवधारणा के उपयोग का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य उन छूटी हुई बस्तियों को जोड़ना है जहां सड़कों का निर्माण पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं है। इसका उद्देश्य पर्यटकों के आकर्षण के नए स्थानों को जोड़ना और रोजगार सृजन व आर्थिक विकास के लिए पर्यटन की दृष्टि से नए अवसरों का पता लगाना है। एक अन्य उद्देश्य पूरे राज्य में आवश्यकता के अनुसार फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जय राम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल सरकार ने राज्य में रोपवे और अन्य परिवहन प्रणालियों के निर्माण के लिए एकल नोडल एजेंसी के रूप में परिवहन विभाग के अंतर्गत रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आरटीडीसी) बनाया है। इसलिए, रोपवे न केवल पर्यटकों के आकर्षण के रूप में कार्य करेगा बल्कि इन क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित करने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन का स्थायी साधन प्रदान करने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीएसटी अनुसूचियों की विशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत रोपवे और परिवहन के अन्य अपरंपरागत तरीकों को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। इस सेवा पर जीएसटी (9% एसजीएसटी और 9 % सीजीएसटी) या 18 प्रतिशत आईजीएसटी लगाया जा रहा है जिससे परिवहन के इस साधन पर माल ढुलाई में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि रोपवे यात्री और परिवहन सामग्री परिवहन के सबसे सुरक्षित साधनों में से एक हैं और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान भी हैं। इसलिए, रोपवे परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर पारगमन के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए रोपवे और परिवहन प्रणाली के अन्य अपरंपरागत तरीकों पर जीएसटी दरों को पारंपरिक सड़क परिवहन के साथ समान किया जाना चाहिए ताकि रोपवे परियोजनाओं में निवेश प्राप्त हो और बड़े पैमाने पर जनता इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो।

अपने पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि हिमाचल प्रदेश राजस्व घाटे वाले राज्यों में एक है जहां राजस्व अंतर पचास प्रतिशत से अधिक है। राज्य में बड़े पैमाने पर रोपवे की स्थापना से राज्य में काफी संख्या में पर्यटक आकर्षित होंगे जो राज्य के आर्थिक विकास में सहायक होगा। इससे राज्य की राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि होगी जिससे राजस्व अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में आयोजित जीएसटी परिषद् की बैठक में शामिल हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी एवं कर विभाग जे.सी शर्मा ने बताया कि बैठक में जीएसटी दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से कम करने पर चर्चा की गई। राज्य के अनुरोध पर जीएसटी परिषद् ने राज्यों के परामर्श से प्रस्ताव पर फिर से विचार करने के लिए मामला फिटमेंट कमेटी को भेजा है। राज्य कर और उत्पाद शुल्क और परिवहन विभाग प्रस्ताव के पक्ष में समिति के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति देंगे।

इंसान असफल तब नही होता जब वह हार जाता है। असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नही सकता। .....चाणक्य

सम्पादकीय

स्वर्ण जयन्ती और जवाब मांगते कुछ सवाल

1948 में 31 पहाड़ी रियासतों का विलय से बने हिमाचल प्रदेश में 1966 पंजाब के पहाड़ी हिस्से मिलने के बाद 1971 में प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ था और आज इस उपलक्ष पर स्वर्ण जयन्ती समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इन समारोहों का आगाज

प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर किया गया। इन आयोजनों को महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रदेश के राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष तक सभी ने संबोधित किया। सभी ने प्रदेश में हुए विकास की सराहना की और अपने पूर्ववर्तीयों के योगदान को रेखांकित किया है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी सांसद और विधायक भी आमंत्रित थे। यह आयोजन एक महत्वपूर्ण अवसर था और इस अवसर पर यदि विकास को लेकर एक आत्म निरीक्षण हो जाता तो शायद यह आयोजन भविष्य के लिये एक मील का पत्थर बन जाता। क्योंकि सरकारें विकास करने के लिये ही बनाई जाती हैं। विकास के हर कार्य से यह अपेक्षा की जाती है कि उससे आने वाली पीढ़ीयों का मार्ग आसान हो जायेगा। इसके लिये इस विकास का आकलन आज के संद्धर्भो में किया जाता है। इस आकलन से यह तय किया जाता है कि जिस लाईन पर पूर्व में विकास हुआ है उसी पर आगे बढ़ते रहना है या उसमें नीतिगत बदलाव करने की आवश्यकता है।

रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं होती हैं। अब इन में शिक्षा और स्वास्थ्य भी जरूरी आवश्यकताओं में जुड़ गयी हैं। सभी नागरिकों को यह सुविधायें आसानी से और एक जैसी गुणवता की उपलब्ध हो रही हैं तथा इनको हासिल करने की क्रय शक्ति सभी की एक समान बढ़ी है यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व तथा विकास का लक्ष्य होता है। यदि इन मानको पर कोई शासन व्यवस्था पूरी नही उतरती है तब उसकी नीतियों को लेकर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और ऐसे विकास को एक पक्षीय माना जाता है। इस सबकी परख संकट के समय में होती है। आज महामारी के संकट ने इस आकलन की ऐसी आवश्यकता और परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी है जिसे कोई चाह कर भी नजर अन्दाज नही कर सकता है। महामारी के इस संकट काल में करोड़ो लोग ऐसे सामने आये हैं जिन्हें इन सुविधाओं की कमी आयी और न्यायपालिका को इसमें दखल देना पड़ा। कोई भी राज्य सरकार इससे अछूती नही रही है। ऐसे में जब इस तरह के समारोहों के अवसर आते हैं तब सभी संबद्ध पक्षों को जिसमें आम नागरिक से लेकर व्यवस्था के लिये उत्तरदायी चेहरों को एक सार्वजनिक संवाद स्थापित करके खुले मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के एक चर्चा करनी चहिये थी जो हो नही सकी है।

आज प्रदेश के संद्धर्भ में इस चर्चा को लेकर कुछ सवाल उठने आवश्यक हो जाते हैं। 1948 से लेकर आज 2021 तक के सफर पर जब नजर जाती है तब पगडण्डीयों से शुरू हुई यह यात्रा जब महामार्गो तक पहुंच जाती है तो विकास का एक अहसास स्वत: ही हो जाता है। जब जिले में ही एक स्कूल होता था और आज हर पंचायत में ही दो-दो तीन-तीन विद्यालय हो गये हैं। हर पंचायत में कोई न कोई स्वास्थ्य संस्थान उपलब्ध है। हर घर में बिजली का बल्ब जलता है और हर गांव सड़क से जुड़ चुका है। विश्वविद्यालय और मैडिकल कालेज तक प्रदेश में उपलब्ध हैं। बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनायें और बड़े बड़े सीमेंट उद्योग सब कुछ प्रदेश में उपलब्ध हैं। लेकिन क्या ये सारी उपलब्धताएं उपलब्ध होने के बावजूद प्रदेश के आम नागरिक का जीवन आसान हो पाया है? क्या यह सारी उपलब्धताएं हासिल करने की समर्थता उसमें आ पायी है? बड़े उद्योग और उसमें बड़ा निवेश आने से राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा तो बढ़ गया है पर इससे गरीबी की रेखा से भी नीचे रहने वालों का आंकड़ा समाप्त हो पाया है? क्या इससे सारे शिक्षण संस्थानों में सभी विषयों के अध्यापक उपलब्ध हो पायें हैं? क्या सारे स्वास्थ्य संस्थानों में पूरे डाक्टर और दूसरा स्टाफ उपलब्ध हो पाया है? क्या प्रदेश में ही पैदा होने वाला सीमेंट यहीं पर सबसे महंगा नही मिल रहा है? प्रदेश को बिजली राज्य का दर्जा हासिल होने के बावजूद बेरोजगारों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? ऐसे दर्जनों सवाल है जिन पर स्वर्ण जयन्ती पर चर्चा होनी चाहिये थी।

प्रदेश के इस विकास से जो कर्जभार बढ़ा है क्या उससे प्रदेश कभी बाहर आ पायेगा? प्रदेश में सारा सार्वजनिक क्षेत्र 1974 और उसक बाद स्थापित हुआ था। इसमें वित निगम जैसा संस्थान ही बन्द हो गया है। जिस सरकार का वित निगम ही बन्द हो जाये वहां के औद्योगिक विकास को कैसे आंका जाये ? प्रदेश पर 1980 तक शायद कोई कर्ज नही था ऐसा 1998 में आये श्वेत पत्र में दर्ज है। फिर चालीस वर्षो में ही यह कर्ज 70 हजार करोड़ पहुंच जाये तो क्या प्रदेश के कर्णधारों से यह सवाल नही पूछा जाना चाहिये की यह निवेश कहां हुआ है? क्योंकि यदि इसी गति से यह कर्ज बढ़ता रहा तो तो एक दिन सचिवालय का खर्च उठाना भी संभव नही रह जायेगा। इसका जबाव दूसरों के आंकड़ों की तुलना से नही वरन् अपनी क्षमता के ईमानदार आकलन से देना होगा।

बेहद महत्वपूर्ण है अरशद मदनी साहब का बयान, इसे राष्ट्रवादी मूल्यों के साथ जोड़ कर देखें

गौतम चौधरी

अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन बलों के खिलाफ बीस साल की लड़ाई के बाद तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करना सामान्य धारणा से परे है। घटनाक्रम इतना नाटकीय था कि हर कोई हैरान रह गया। हालांकि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। अफगानिस्तान की समसामयिक घटनाएं और मित्र राष्ट्रों की रणनीति यह बता रही थी कि आज नहीं तो कल तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा तय है। कई विश्लेषकों ने नए तालिबान को एक आधुनिक, परिष्कृत संस्करण के रूप में पेश किया है, जिसका पुराने तालिबान से बहुत कम संबंध है। हालांकि, वैचारिक प्रतिबद्धताओं और राजनीतिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने में अनुमान से कहीं अधिक समय लगेगा। क्योंकि तालिबान ने अतीत में जो सख्ती की थी, उससे यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि वे पिछले 20 वर्षों में बदल गए हैं। इसके उदाहरण भी दिखने लगे हैं। लोग देश छोड़ने के लिए बेताब हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय ध्वज के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। महिलाएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बुरी तरह डरी हुई है। विदेशी सरकारें अपने राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों के बाहर निकलने के जद्दोजहद में लगे हैं।

चूकि अफगानिस्तान भारत के पड़ोस में बसने वाला देश है। यही नहीं लम्बे समय से अफगानिस्तान का भारत के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहा है। अफगानिस्तान में हो रहे राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से भारत अछूता नहीं रह सकता है। हालिया परिवर्तन की तपिश भारत में भी महसूस किया जा रहा है। कई नामचीन लोग बयानों के कारण सुर्खियों में हैं। कई लोगों ने तो बेहद खतरनाक बयान दिए हैं लेकिन कई लोगों के बयान भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला साबित हो रहा है। उसी में से एक हैं अरशद मदनी साहब। मदनी साहब जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के छात्रों के लिए पिता के समान हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि तालिबान को देवबंद का समर्थन तभी मिलेगा जब वे अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और सही वातावरण विकसित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन देंगा। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि तालिबानी शासकों को सभी अफगानिस्तान के लोगों को सुरक्षित महसूस करना होगा। कई अध्ययनों और रिपोर्टों ने पिछले दशकों के दौरान भारत के दारुल उलूम देवबंद और तालिबान के बीच संबंध का विश्लेषण किया है, जिसके तहत देवबंदी मदरसों पर कटरता फैलाने का आरोप लगता रहा है। हालांकि, दारुल उलूम देवबंद ने हमेशा से इस चिंतन का खंडन किया है। वे बराबर से कहते हैं कि हम भारतीय संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। भारत की धर्मनिरपेक्षता और सामासिक संस्कृति के प्रति उनका सम्मान अटूट है। दारुल उलूम ने हमेशा आतंकवाद की निंदा की है और दावा किया है कि यह इस्लाम के खिलाफ है। आतंकवाद, निर्दोषों की हत्या करता है इसलिए आतंकवाद को इस्लाम सम्मत नहीं कहा जा सकता है। देवबंद के सरपरस्तों का यही कहना है कि इस्लाम प्रेम और शांति पर आधारित एक वैश्विक धर्म है, जो मानवता के लिए है।

आने वाले समय में जानकारों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर तालिबान का रूख क्या होता है। तालिबानी चिंतक, जो अब एक भौतिक राष्ट्र के शासक भी बन गए हैं उनका, इस्लाम, विदेश नीति, आर्थिक नीति, पड़िसियों के साथ संबंध, धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति रूख, महिलाओं के साथ बर्ताव और आतंकवाद पर क्या दृष्टिकोण रहता है, यह भी देखना होगा। वर्तमान तालिबान अपने कार्यों में अधिक परिपक्व और सतर्क लग रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ काम करने के संकेत दिया है। हालांकि, इस बार भी उनका मुख्य एजेंडा इस्लाम और शरिया कानून ही है लेकिन वे इसे बेहद सतर्कता के साथ लागू करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। देवबंद विचारधारा के साथ तालिबान के संबंधों का भविष्य के घटनाओं पर प्रभाव को देखना और परखना भारत के लिए बहुत मायने रखता है। यहां यह बता देना जरूरी है कि तालिबान ने अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति, भाषा और अभिविन्यास ब्रितानी भारत 1866 में स्थापित देवबंद मदरसे से प्राप्त किया है, जो इस्लाम का पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप एक व्यवस्थित और प्रभावशाली रूप है। कुल मिलाकर देवबंद मदरसे के द्वारा की गयी इस्लाम की व्याख्या ही तालिबान का विस्तार है। देवबंद मदरसे के द्वारा इस्लाम की व्याख्या केवल तालिबान ही नहीं मानता है अपितु दुनिया के कई देशों में यह प्रचलित है। इसलिए तालिबान के उदय पर इन धार्मिक मदरसों की स्थिति के बारे में एक बहस छिड़ गई है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये मदरसे तालिबान की मजबूती के लिए सहायक सिद्ध होंगे लेकिन देवबंद के सरपरस्त मदनी साहब ने इस आशंका को निर्मूल कर दिया है।

तालिबान का सवाल निश्चित रूप से दारुल उलूम देवबंद के दायरे से बाहर है, जिसने हमेशा चरमपंथी और कटरपंथी संगठनों से दूरी बनाने की कोशिश की है। यह स्पष्ट है कि कुछ पर्यवेक्षक देख रहे होंगे कि तालिबान के उदय पर देवबंद उलेमा कैसे प्रतिक्रिया देंगे। दारुल उलूम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि तालिबान के उदय का उन पर प्रभाव पड़ता है और इस पर कोई भी बयान देने का मतलब विवादों में पड़ना होगा। यह स्पष्ट है की तालिबान का उदय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और क्षेत्रीय पड़ोसियों के लिए एक चिंता का विषय है। इधर देवबंद जैसे धार्मिक स्कूलों को शिक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए और विवादों में पड़ने से बचना चाहिए। उलेमाओं के उलेमा यानी उलेमाए हिंद मदनी साहब ने सकारात्मक बयान जारी कर हिन्दुस्तान के मुसलमानों की मानसिक दशा को स्पष्ट कर दिया है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि भारत का मुसलमान किसी कीमत पर उस चिंतन का समर्थन नहीं कर सकता जिस चिंतन के कारण मानवता शर्मसार होती रही है। याद रहे भारतीय मुसलमानों ने इब्राहिम लोदी का समर्थन किया, रजिया सुल्तान का समर्थन किया, फिरंगियों के खिलाफ बहादुर शाह जफर का समर्थन किया। भारतीय मुसलमानों ने कभी वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। देवबंद मदरसे की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करने के लिए की गयी थी। देवबंदी उलेमाओं ने भारत के विभाजन का विरोध किया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मदनी साहब ने तालिबान को हेदायत दी है। मदनी साहब का बयान भारत की समावेशी सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करने वाला साबित होगा।

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द का हिमाचल प्रदेश विधान सभा की स्वर्ण जयंती के विशेष सत्र में सम्बोधन

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधान सभा के इस ऐतिहासिक सत्र में प्रमुख रूप से राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, विधान सभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार,पूर्व मुख्यमंत्री, प्रेम कुमार धूमल नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री उपस्थित रहे।

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधान सभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतन्त्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ – साथ, मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख निवासियों को, पूरे देश की ओर से, बधाई देता हूं।

यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं।

यह 'काउंसिल चैंबर भवन' तथा परिसर, आधुनिक भारत की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इसी भवन में श्री विटठल भाई पटेल ने सन 1925 में ब्रिटिश प्रत्याशी को हराकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के अध्यक्ष का चुनाव जीता था। अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय मर्यादा और निष्पक्षता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी हमारी संसद और विधान सभाओं के लिए एक आदर्श है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा में श्री जसवंत राम से लेकर श्री ठाकुर सेन नेगी सहित अध्यक्षों एवं प्रभावशाली विधायकों की समृद्ध परंपरा रही है।

इस सत्र में प्रतिपक्ष के नेता का सम्बोधन होना आपकी परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कृति का अनुकरणीय उदाहरण है। इस स्वस्थ परंपरा के बीज आप के पूर्ववर्ती जन – नायकों द्वारा संचालित आज़ादी की लड़ाई, और उसके बाद पूर्ण राज्यत्व के लिए सर्वथा संवैधानिक तरीके से संचालित आंदोलन में निहित थे।

'पहाड़ी गांधी' के नाम से विख्यात, कांगड़ा के बाबा कांशीराम जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और अपने जीवन के अनेक वर्ष कारावास में बिताए। संविधान – सम्मत मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पदम देव, श्री शिवानंद रामौल तथा अन्य जन – सेवकों ने पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के संघर्ष को आगे बढ़ाया था।

हिमाचल प्रदेश में स्वस्थ लोकतान्त्रिक परंपरा का निर्माण करने वाले विगत विधानसभाओं के सदस्यों तथा उसको मजबूत बनाने वाले आप सभी विधायकों को मैं साधुवाद देता हूं। उनमें से बहुत से लोग आज हमारे बीच नहीं हैं। लोकतन्त्र के उन सेवकों की स्मृति को, मैं सभी देशवासियों की ओर से नमन करता हूं।

इस क्षेत्र के जन – जन में व्याप्त लोकतान्त्रिक चेतना के कारण ही शायद यह ऐतिहासिक संयोग बना कि स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव का पहला वोटर होने का श्रेय हिमाचल प्रदेश के ही श्री श्याम सरन नेगी जी को जाता है। उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्रांड एम्बेसेडर बनाया था। मुझे बताया गया है कि सौ वर्ष से अधिक आयु के श्री नेगी जी आज भी सक्रिय हैं और एक सजग मतदाता के रूप में उनका उदाहरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है।

जनवरी, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जैसे लोकतन्त्र में आस्था रखने वाले जन – नायकों के नेतृत्व में यहां की जनता के संघर्ष की सफल परिणिति थी। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विगत 50 वर्षों में विकास की जो गाथा लिखी है उस पर सभी देशवासियों को गर्व है। इसके लिए सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। मैं पूर्व मुख्यमंत्रियों – स्वर्गीय डॉक्टर वाई.एस. परमार, स्वर्गीय ठाकुर राम लाल, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के योगदान की सराहना करता हूं।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विकास – यात्रा को जन – मानस तक पहुंचाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 'सतत विकास लक्ष्य – इंडिया इंडेक्स 2020 – 21' में हिमाचल प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश कई मापदण्डों पर देश में अग्रणी राज्य है। इसके लिए मैं राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की पूरी टीम को साधुवाद देता हूं।

देववाणी संस्कृत के साहित्य में देवभूमि हिमाचल की प्रशस्ति के अनेक उदहारण प्राप्त होते हैं। हमारी लोक – परंपरा में इस क्षेत्र को महादेव शंकर और देवी पार्वती से जुड़ा माना गया है। एक बहुत प्रचलित प्रार्थना है:

हिमाचल – सुता – नाथ – संस्तुते परमेश्वरि।
रूपं देहि, जयं देहि, यशो देहि, द्विषो जहि।।

अर्थात हिमालय की कन्या पार्वती के पति, भगवान शंकर के द्वारा प्रशंसित होने वाली, हे परमेश्वरी! सभी लोगों को रूप, विजय और यश प्रदान कीजिए, शत्रु के समान विद्यमान कुवृत्तियों का नाश कीजिए। मैं यही प्रार्थना, लोकतन्त्र के इस पावन मंदिर में, हिमाचल प्रदेश के निवासियों तथा सभी देशवासियों के कल्याण के लिए करता हूं।

अन्याय व अत्याचार के प्रतीक महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ दुर्गा की प्रार्थना करने से, यह विचार भी स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश के शांतिप्रिय परंतु बहादुर लोग, आवश्यकता पड़ने पर अन्याय, आतंक और देश की अस्मिता पर किसी भी प्रकार के प्रहार का वीरता – पूर्वक जवाब देते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर गांव के युवा भारतीय सेनाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मुझे बताया गया है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या एक लाख बीस हजार से भी अधिक है। इस वीरभूमि से ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष में प्राण न्योछावर करने वाले राम सिंह पठानिया, देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, कारगिल में शहीद हुए, परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार और कारगिल के नायक शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जैसे अनेक शूरवीरों ने पूरे देश का और हिमाचल प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। सैन्य – बलों का सुप्रीम कमांडर होने के नाते, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से, उन वीरों की पावन स्मृति को मैं नमन करता हूं।

यह भी आप सभी के लिए गर्व का विषय है कि सन 2014 में यह विधान सभा देश की पहली पेपरलेस विधान सभा बनी। यह टेक्नॉलॉजी के सक्षम उपयोग, पर्यावरण की रक्षा तथा आर्थिक संसाधनों की बचत का अच्छा उदाहरण है। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने सहित, अनेक सराहनीय प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित Non-bio-degradable Garbage Control Act 1995, Prohibition of Smoking and Non- smokers Health Protection Act 1997 जैसे क़ानूनों का पूरे देश पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस विधान सभा में ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं जिनसे भविष्योन्मुखी परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त होता रहा है।

हिमाचल प्रदेश में नदियों का पानी निर्मल है। यहां की मिट्टी साफ – सुथरी तथा पोषक तत्वों से युक्त है। मैं चाहूंगा कि यहां के किसान भाई – बहन, प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक अपनाएं और रासायनिक उर्वरकों से अपनी शस्य – श्यामला धरती को मुक्त करें।

पिछले कुछ महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में बादल फटने तथा जल – प्लावन जैसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हुए हैं। मैं सभी संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर ऐसी आपदाओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित करेंगे।

कोविड महामारी का सामना करने में हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले वैक्सीन की पहली डोज़ शत – प्रतिशत आबादी को लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए साधुवाद को मैं अक्षरश: साझा करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में चैंपियन बन कर सामने आया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी कोरोना वॉरियर्स की मैं सराहना करता हूं।

श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिमाचल प्रदेश से गहरा लगाव था। इसे वे अपना घर ही मानते थे। उन्होंने हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया था, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिला। उन्होंने ही 2002 में उस परियोजना की आधारशिला रखी थी जो आज 'अटल टनल' के नाम से, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग – टनल के रूप में, स्थापित है। इससे हिमाचल और लेह – लद्दाख के हिस्से, देश के अन्य क्षेत्रों से सदैव जुड़े रहेंगे और वहां के लोगों का तेजी से आर्थिक विकास होगा।

मेरे लिए यह सुखद संयोग है कि हिमाचल की धरती मुझे लगभग 45 वर्षों से आकर्षित करती रही है। मैं पहली बार 1974 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू – मनाली क्षेत्र में आया था और उसके बाद कई बार इस प्रदेश में आना होता रहा है। सार्वजनिक – जीवन से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी हिमाचल प्रदेश आने का अवसर मुझे मिलता रहा था। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की कर्मठता, सरलता व अतिथि सत्कार ने मेरे मानस – पटल पर गहरी छाप छोड़ी है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक यात्रा, मुझ में एक नई स्फूर्ति का संचार करती है।

आप सभी विधायक, सांसद तथा प्रदेश के अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रदेश की जनता अपने भाग्य – विधाता के रूप में देखती है और आप सभी से अपेक्षा करती है कि आप सब इस प्रदेश व राष्ट्र के निर्माता बनें। अब तक की अपनी विकास यात्रा के द्वारा आप सबने भविष्य के समग्र व समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। पर्यावरण के अनुकूल कृषि, बागवानी, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार – विशेषकर स्वरोजगार – आदि अनेक क्षेत्रों में सतत विकास की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है। हमें प्राकृतिक सौंदर्य को संजोये रखने के साथ – साथ विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने होंगे। प्रदेश के एक जिले का नाम सिरमौर है। मेरी शुभकामना है कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक दिन विकास के पैमाने पर भारत का सिरमौर बने। मुझे विश्वास है कि 2047 में जब हमारे देशवासी आजादी की शताब्दी मनायेंगे और हिमाचल प्रदेश अपनी स्थापना के पचहत्तर वर्ष सम्पन्न होने का समारोह मनाएगा, तब तक यह राज्य विश्वस्तरीय विकास और समृद्धि का आदर्श प्रस्तुत कर रहा होगा।

हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में, लोकतन्त्र के इस मंदिर में, आप सबके प्रति, मैं यह शुभ – कामना व्यक्त करता हूं कि अपनी लोकतान्त्रिक विरासत व स्वस्थ परम्पराओं को निरंतर मजबूत बनाते हुए, आप सब अपने राज्य को खुश – हाली की बुलंदियों पर ले जाएं।

हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती पर आप सबको एक बार फिर हार्दिक बधाई!

धन्यवाद!

जय हिन्द!

2018 और 2019 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के समापन समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति

शिमला। भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने कहा कि लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली की गहरी समझ हासिल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं और सीएजी को सुधार

के सुझाव देने की अच्छी स्थिति में रखते हैं ।

वे शिमला में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी में 2018 एवं 2019 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के समापन समारोह में बोल रहे थे।

राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 18 महीने देश के लिए बहुत ही कठिन रहे हैं। COVID-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। सरकार ने संकट को कम करने और गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न वित्तीय उपाय किए हैं।

इन्हें अक्सर पैसे के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह हमारे बच्चों और पोते-पोतियों से उधार लिया गया था। हम उनके ऋणी हैं कि इन दुर्लभ संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग किया जाता है और गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। इसमें सीएजी की बहुत अहम भूमिका है।

राष्ट्रपति ने कहा कि निरीक्षण कार्य करते समय सीएजी को प्रणालीगत सुधारों के लिए इनपुट प्रदान करने के अवसरों के बारे में पता होना चाहिए।

लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली की गहरी समझ हासिल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं और सीएजी को सुधारों का सुझाव देने की एक अच्छी स्थिति में रखते हैं। सरकारें सीएजी जैसी संस्था द्वारा दी गई सलाह को गंभीरता से लेंगी। यह हमारे सार्वजनिक सेवा वितरण मानकों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को तेजी से डिजिटल किया जा रहा है। तेजी से फैलती प्रौद्योगिकी सीमा ने राज्य और नागरिकों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देश के सबसे दूर के कोने में सबसे गरीब नागरिक तक पैसा कंप्यूटर बटन के धक्का पर पहुंच सकता है। लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक 'छोटी चुनौती' और 'विशाल अवसर' है।

उन्नत एनालिटिक्स टूल का उपयोग करके, बड़ी मात्रा में डेटा की जानकारी को दूर की यात्रा किए बिना मिटाया जा सकता है। यह लेखापरीक्षा कार्यों को अधिक केंद्रित और कुशल बना सकता है। प्रणालीगत लाल झंडे पहले चरण में उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाना होगा। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि सीएजी को मामले की जानकारी है।

राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी के आसपास के वातावरण के बारे में बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा परिवेश सीखने की गतिविधियों के लिए एक महान स्थान है। ये परिवेश हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के आनंद के लिए उसी प्राचीन प्रकृति को छोड़ने की एक बहुत ही कठिन जिम्मेदारी के बारे में भी सिखाते हैं। भारत की विकास संबंधी जरूरतों के बावजूद हमने वैश्विक जलवायु परिवर्तन चुनौती और पर्यावरण संरक्षण को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ली है।

उन्होंने कहा कि सीएजी ने पर्यावरण लेखा परीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे भविष्य के लिए बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि संसाधन परिमितता की बाधाओं को केवल मानव नवाचार द्वारा ही आंशिक रूप से संबोधित किया जा सकता है। बाकी के लिए हमारी पीढ़ी द्वारा बलिदान ही एकमात्र सहारा है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किए जाने वाले बलिदानों के बारे में जागरूक करने में सीएजी की बड़ी भूमिका है।

अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवकों के रूप में वे सबसे गरीब लोगों की सेवा करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में सक्षम होने पर सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त करेंगे। अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए हमें सभी पदाधिकारियों को सौंपी गई इस सामान्य जिम्मेदारी के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। पारस्परिक सहानुभूति से लदी एक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों तक बहुत तेजी से पहुंचें।

राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में निहित स्वतंत्रता को पोषित किया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यावसायिकता और पूर्ण सत्यनिष्ठा के माध्यम से इसमें और अधिक मूल्यों को जोड़ने की आवश्यकता है। सभी युवा अधिकारियों को इन गुणों को पूरी तरह से आत्मसात करने की आवश्यकता है क्योंकि वे लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की ऐसी समृद्ध परंपराओं के अग्रदूत बन जाते हैं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ने युवाओं के लिए खोले रोजगार के द्वार

शिमला। प्रदेश के युवाओं को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत हुनरमंद बनाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना में प्रदेश की युवाशक्ति का समुचित दोहन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन पर रोजगार प्रदान करना है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अन्तर्गत वर्ष 2023 तक 22000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 5320 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से 3021 युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया गया हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लाभार्थी प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों में कार्यरत है। हॉस्पिटैलिटी ट्रेड के अन्तर्गत कार्यरत युवाओं को भोजन के साथ छात्रावास की सुविधा प्रदान की जा रही है।

गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए आयु सीमा 15-35 वर्ष तथा दिव्यांग, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गो के लिए आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, मनरेगा के तहत वित्त वर्ष में कम से कम 15 दिन का कार्य करने वाले श्रमिक के परिवार सदस्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड धारक परिवार, अन्त्योदय अन्न योजना/बीपीएल/पीडीएस कार्ड परिवार तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्य इस योजना के पात्र होंगे।

इस योजना के तहत 70 प्रतिशत प्रशिक्षित लाभार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में निश्चित रोजगार का आश्वासन प्रदान किया जाता है। योजना के तहत प्रशिक्षुओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ निःशुल्क छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कोर्स की अवधि 3 से 12 महीने की होती है। योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष का पोस्ट प्लेसमेंट प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में इस योजना के तहत परिधान (अपैरल), हॉस्पिटैलिटी, ग्रीन जॉब्स, ब्यूटिशियन, सिलाई मशीन ऑपरेटर, बेकिंग, स्टोरेज ऑपरेटर, स्पा, अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक, सेल्स एसोसिएट, अकॉउंटिंग, बैंकिंग सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव, कंप्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट, टेली एक्सेक्यूटिव-लाइफ साइंसेज आदि ट्रेड्स डीडीयू-जीकेवाई के अन्तर्गत संचालित किए जा रहे हैं।

इन ट्रेडस के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल में विकास किया जाता है। वर्तमान समय में डिजिटल स्किल, सोशल मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक, विजुअलाइजेशन, टेलिविजन और मोबाइल रिपेयर जैसे क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के अपार अवसर उत्पन्न हुए हैं। इन ट्रेडस के माध्यम से अर्धकुशल युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर किया जाता है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर कई युवाओं ने भविष्य के लिए सजाए सुनहरे सपनों को साकार किया है। जिला कांगड़ा के गांव कछियारी के अक्षय कुमार के लिए यह योजना वरदान सिद्ध हुई है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी। उनके पिता दिहाड़ीदार मजदूर है और पूरे परिवार का बोझ उन्हीं के कंधों पर था। घर में आर्थिक तंगी होने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी लेकिन अक्षय कुमार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन कर अपने परिवार का सहारा बनना चाहते थे। यह योजना उनके लिए आशा की किरण बनकर आई। जब उन्हें योजना के बारे में पता चला तो इसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने बैंकिंग एण्ड अकाउंटिंग पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेना शुरू किया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने आई. टी. और स्पोकन इंग्लिश की मुफ्त कक्षाएं भी ली, जिससे उनके संचार कौशल में काफी सुधार हुआ है। योजना के अन्तर्गत उन्हें अध्ययन सामग्री के साथ-साथ यात्रा भत्ता भी मिला और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें संबंधित क्षेत्र से काफी नई चीजें सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्तमान में वह पी.डब्ल्यू.डी. गेस्ट हाउस चंडीगढ़ में बतौर सहायक लेखाकार के रूप में कार्यरत है। उन्हें 12 हजार रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। उनका कहना है कि यह योजना उनके सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध हुई है और आज वह आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ-साथ अपने परिवार का सहारा भी बन रहे हैं।

ऐसा ही कुछ सुखद अनुभव जिला शिमला की तहसील रामपुर के गांव काशापाट के कमलेश को भी हुआ, जब उन्होंने डीडीयू-जीकेवाई के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया। कृषक परिवार से संबंध रखने वाले कमलेश की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी। इस कारण उन्हें 12वीं के पश्चात अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए उन्होंने शिक्षित होने के बावजूद मजदूरी करना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्हें प्रतिमाह केवल तीन हजार रुपये मिलते थे। इतनी कम आय में उनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन जब उन्हें इस योजना के बारे में पता चला, तो उन्होंने हाऊसकिपिंग मैनुअल अटेंडेंट कोर्स में दाखिला लिया। तीन माह के इस कोर्स में उन्हें हाऊसकिपिंग से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त होने के पश्चात वह एक निजी होटल में हाऊसकिपिंग मैनुअल अटेंडेंट के रूप में चयनित हुए। वर्तमान में उन्हें अच्छा वेतन मिल रहा है। इसके साथ उन्हें समय-समय पर इंसेंटिव भी मिल रहे हैं। उनका कहना है कि सभी बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ना चाहिए।

कमलेश और अक्षय कुमार जैसे कई युवा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है।

सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा से जनसेवा का अनुराग का अभियान अनुकरणीय:मनसुख मंडाविया

शिमला। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के कर कमलों से सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हिमाचल रवाना करवाया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम सभी ने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाने का निश्चय किया है और इसी भाव के साथ सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत 15 और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हिमाचल प्रदेश भेजी जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से कुछ समय निकाल कर इन मेडिकल यूनिट्स को झंडी दिखा कर हिमाचल रवाना किया। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की 17 मोबाइल मेडिकल यूनिट 800 पंचायतों के 5000 गाँवों में लोगों के घर द्वार पर जाकर अब तक लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोगों का मुफ्त जाँच उपचार और दवा उपलब्ध कराने का कीर्तिमान रच चुकी है। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 21 लाख लोगों को इस सेवा से लाभान्वित करने का है। अब इन 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के इस बेड़े में शामिल होने से कुल संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी जिस से लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने के अभियान को और धार मिलेगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में भी 40 से ज़्यादा टेस्ट करने वाली इस स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकार के साथ साथ मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की जाँच यूनिट भी बाहर से प्रदेश में आने वाले सभी प्रवासियों का राज्य की सीमा पर कोविड टेस्ट करने के साथ सैम्पल कलेक्शन, वैक्सीननेशन ड्राइव व आवश्यकता अनुसार सभी ज़रूरतमंदों को मास्क ,सैनेटाइजर व अन्य ज़रूरी वस्तुओं का वितरण कर रही है । सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थीयों में 65 संख्या महिलाओं व बुज़ुर्गों की है। साथ ही साथ ये चलता फिरता अस्पताल रोज़गार भी उपलब्ध करा रहा है जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 50 है। यह स्वास्थ्य सेवा 70 वर्ष से अधिक के बुज़ुर्गों को उनके घरों पर जाकर उच्चस्तरीय जाँच, उपचार व दवाइयाँ देने का काम कर रही है।

मनसुख मंडाविया ने कहा भारत हेल्थकेयर सेक्टर में आशातीत उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। भारत ने कोरोना टीकाकरण व इसके रोकथाम में दुनिया के सामने एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है।आज़ादी के 75 वें वर्ष में हमने 75 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण कर भारत की क्षमता को विश्वपटल पर सामने रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बंधी चुनौतियों से निपटने में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह देखना सुखद है कि एक सांसद के तौर पर अनुराग ठाकुर पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने स्थानीय जनता के स्वास्थ्य हितों की चिंता की व सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से प्राइमरी हेल्थकेयर सेक्टर में कीर्तिमान रच दिया। मात्र तीन वर्षों में 17 मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से 6 लाख से ज़्यादा लोगों का निःशुल्क उपचार करना निःसंदेह प्रेरणादायक भी है बल्कि इसे एक स्वास्थ्य क्रांति की तरह देखा जाना चाहिए।

पंचायतों एवं सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का सशक्तिकरण

– कपिल मोरेश्वर पाटिल –
राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय

शिमला। भारत में गांवों को समृद्ध एवं सशक्त बनाए बगैर सशक्त राष्ट्र की कल्पना अधूरी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी सदैव इस बात के प्रबल पक्षधर रहे हैं कि गांवों को विकास की मुख्यधारा में लाकर ही हम एक उन्नत और सक्षम राष्ट्र की अवधारणा को मूर्त रूप दे सकते हैं। समृद्ध गांवों की कल्पना तभी की जा सकती है जब वहां रोजगार के पर्याप्त संसाधन हों और गांव से रोजगार की खोज में लोग शहरों की ओर रुख न करें।

बढ़ती आबादी के कारण खेती के लिए कम होती जोत ने गांवों में आजीविका के लिए गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, किंतु संतोष का विषय यह है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत सात वर्षों में इस दिशा में गंभीरतापूर्ण विचार करके सतत प्रयत्न किए गए हैं जिनके सकारात्मक परिणाम भी दृष्टिगोचर होने लगे हैं। स्वरोजगार एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे बढ़ती हुई बेरोजगारी के संकट को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। 'स्वरोजगार' की शक्ति ही प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को सिद्ध करने का सबसे सशक्त माध्यम है।

गांवों में स्वरोजगार के सशक्तिकरण के कार्य में ग्राम पंचायतों एवं सहकारिता के क्षेत्र की महति भूमिका है। गांवों में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूर्ण रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से स्थानीय नियोजन और योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 के माध्यम से 11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों के संबंध में ग्राम पंचायतों को सशक्त एवं अधिकार संपन्न बनाया गया है। ग्रामीण भारत के रूपांतरण में ग्राम पंचायतें एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभा रही हैं।

ग्राम पंचायते स्थानीय स्तर पर संवैधानिक रूप से स्वशासन की इकाई तो हैं ही वे केंद्र एवं राज्य सरकारों की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का अंतिम अभिसरण बिंदु भी हैं। गांवों में सरकार की सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का दायित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ग्राम पंचायतों पर ही होता है। ऐसे में रोजगार का विषय सीधे सीधे ग्रामीण अंचलों में पंचायतों से संबद्ध करके देखा जा सकता है।

यहां हम पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से स्वरोजगार के साधनों की उपलब्धता एवं उसके पश्चात सहकारिता क्षेत्र की शक्ति का इसके निहितार्थ उपयोग के विषय पर चर्चा करेंगे।

चूंकि ग्राम पंचायत गांवों में सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए अंतिम किंतु महत्वपूर्ण अभिसरण बिंदु है, स्वरोजगार की दिशा में भी पंचायतों की क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। केंद्र एवं राज्य सरकार के कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी जैसे कई मंत्रालयों – विभागों से संबंधित स्वरोजगार की योजनाओं को गांवों में जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायते एक महत्वपूर्ण ऐजेंसी की भूमिका निभा सकती हैं। इन योजनाओं का ग्रामीण अधिक से अधिक लाभ उठाएं इसके लिए व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम भी पंचायतों के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। वर्तमान में भी पंचायते इस दिशा में अपने दायित्व को निभा रही हैं, किंतु भविष्य में इसे और अधिक क्रियाशील करने की आवश्यकता है।

14 वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के माध्यम से अनुदान राशि के उपयोग हेतु ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के लिए प्रावधानित किया गया है। ग्राम पंचायत स्वयं अपनी स्थानीय आवश्यकताओं, भविष्य के विकास की संभावनाओं एवं गांव में रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित कर विगत वर्षों में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण कर उनका सफल क्रियान्वयन कर रही है। विगत तीन वर्षों से जननियोजन अभियान (PPC) दिशानिर्देशों एवं पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी परामर्शी ने स्वयं सहायता समूहों एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई – एनआरएलएम) के संघों को वार्षिक जीपीडीपी नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने एवं ग्राम निर्धनता न्यूनीकरण योजना (वीपीआरपी) तैयार करने के लिए अधिदेशित किया है।

वीपीआरपी के माध्यम से स्व सहायता समूहों की स्व रोजगार की आवश्यकताओं एवं आजीविका माध्यमों को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जाता है जो कि गांव के लिए आवश्यक एवं प्रासंगिक है। इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित ग्राम सभाओं के माध्यम से देश की सभी ग्राम पंचायतों में वीपीआरपी निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। गांव में महिला सशक्तिकरण, उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आजीविका उपलब्ध कराने की दिशा में इस पंचायती राज मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस संयुक्त प्रयास के सार्थक एवं उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होना सुनिश्चित हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आजीविका से जोड़ कर गरीबी दूर करने का एक अभिनव प्रयास है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में अब तक 70 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसमें देश की 7 करोड़ 80 लाख से अधिक महिलाओं ने भागीदारी कर के स्वरोजगार के साधनों से अपने परिवारों में समृद्धि के द्वार खोले हैं।

25 सितंबर 2014 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस पर प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। अब तक इस योजना के माध्यम से देशभर में 11 लाख 26 हजार से अधिक युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, एवं इसके साथ ही 6 लाख 61 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो चुका है।

प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना अत्यंत महात्वाकांक्षी एवं ग्रामीण भारत के नवनिर्माण में एक नया अध्याय स्थापित वाली योजना है। स्वामित्व के माध्यम से देश के गांवों में रहने वाले सभी लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक संपत्ति कार्ड के रूप में प्रदान किया जा रहा है। संपत्ति कार्ड के प्राप्त होने के बाद ग्रामीणों की संपत्ति का व्यावसायिक एवं आर्थिक उपयोग संभव हो पाया है। ग्रामीण स्वामित्व योजना के माध्यम से मिले अपनी संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करके स्वरोजगार के कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।

'आत्मा गांव की, सुविधाएं शहर की' के ध्येय वाक्य के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन वस्तुत: आर्थिक विकास, बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर गांव और शहर के बीच की खाई को पाटने की एक अभिनव पहल है। रूर्बन मिशन के माध्यम देशभर में 300 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं जो ग्रामीण अंचल में होते हुए भी विकास के हर पैमाने पर शहरों से कम नहीं होंगे। रूर्बन मिशन ने गांवों स्वरोजगार कई रास्ते खोले हैं।

सहकारिता एक वृहद क्षेत्र है एवं सहकार की भावना से किसी भी क्षेत्र का विकास सरलता से किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए सहकारिता क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा देशभर में 10 हजार कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) की स्थापना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इन एफपीओ से जुड़कर कृषक परिवारों के युवा न केवल स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं अपितु संगठित माध्यम से उन्नत एवं लाभकारी कृषि से अच्छी आय भी सृजित कर सकते हैं।

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में खाद्य प्रसंस्करण, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, एग्रो मार्केटिंग, बागवानी, फिशरीज़ जैसे कई क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है। कई राज्यों इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो भी रहे हैं। आधुनिक युग में तकनीकी एवं कौशल को स्थानीय ग्रामीण आवश्यकता के साथ जोड़कर भी स्वरोजगार के साधन पैदा किए जा सकते हैं।

हमारे देश की 65 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। आजीविका की तलाश में गांव से शहर की ओर होती रोजागार की खोज ने एक नए संकट – 'उजड़ते गांव, बिगड़ते शहर' को पैदा कर दिया है। इस संकट का समाधान स्वरोजगार के साधनों में छिपा हुआ है। स्वरोजगार के आने वाली गांवों की संपन्नता ग्राम – शहर संतुलन को बनाएगी ही राष्ट्र को भी शक्ति प्रदान करेगी।

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के माध्यम से आपसी एकता, तालमेल और मैत्री की स्थापना

– जी किशन रेड्डी –
केन्द्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

शिमला। हम भारतीयों ने हमेशा अपनी मातृभूमि को एक सभ्यता संपन्न राष्ट्र के रूप में देखा है। ऐसे राष्ट्र की सभ्यता की सीमाएं(राष्ट्र की संस्कृति की पहुंच, उसके लोकाचार तथा एक – दूसरे को व्यापक रूप से जोड़नेवाली आध्यात्मिक भावना के प्रभाव से तय होती हैं। परिणामस्वरूप, राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा, भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है – वसुधैव कुटुम्बकम। दूसरी ओर, यूरोप और पश्चिम के देशों ने क्षेत्रीय सीमाओं, मानचित्रों और इन क्षेत्रों के भीतर कानून को लागू करने की क्षमता पर आधारित राष्ट्रीय सीमाओं को प्राथमिकता दी। भारत की क्षेत्रीय एवं सभ्यातगत सीमाओं के अधिकतम संभव सीमा तक निकटता से जुड़े रहना सुनिश्चित करने में अगर किसी व्यक्ति का असाधारण योगदान था, तो वे थे – सरदार वल्लभभाई पटेल।

इस पृष्ठभूमि में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर, 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 140 वीं जयंती के अवसर पर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का शुभारंभ करना सर्वाधिक उपयुक्त था। सरदार पटेल की जयंती से पहले, 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, 'सरदार पटेल ने हमें एक भारत दिया और अब यह 125 करोड़ भारतीयों का परम कर्तव्य है कि वे सामूहिक रूप से इसे श्रेष्ठ भारत बनाएं।' इसके बाद, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 – 17 के अपने बजट भाषण में इस पहल की घोषणा करते हुए कहा, 'सुशासन के लिए हमें देश की विविधता में एकता की भावना को प्रमुखता देनी होगी। एक – दूसरे की समझ को मजबूत करने के लिए, संरचनात्मक तरीके से विभिन्न राज्यों और जिलों के बीच घनिष्ठ आपसी सम्बन्ध बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्यों और जिलों को आपस में जोड़ने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम के तहत 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' को शुरू किया जाएगा, जो भाषा, व्यापार, संस्कृति, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्रों में आदान – प्रदान के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ेगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले राज्यों और जिलों के बीच आपसी सहमति के जरिए हम इसे सफल बनायेंगे।'

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कई स्तरों पर आपसी मैत्री को प्रोत्साहित करते हुए तथा विविधता का उत्सव मानते हुए यह कार्यक्रम भारत की एकता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के जरिये, देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आपसी समझ और अपनी विविध संस्कृतियों के पहलुओं को साझा करके, राष्ट्रीय पहचान की संयुक्त भावना का अनुभव करते हैं। वे एक – दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्रें में नियमित मैत्री के जरिये राष्ट्रीय पहचान का अनुभव करते हैं। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' एक ऐसी भावना है, जिसके अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयां, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचती हैं, एक – दूसरे से जुड़ती हैं और परस्पर संवाद करतीं हैं। इसके माध्यम से एक ओर अलग – अलग विशेषताओं से युक्त तथा दूसरी ओर एक महानगरीय समाज को आपसी सम्बन्ध और भाईचारे की सहज भावना को आत्मसात करने का अवसर मिलता है। यह घनिष्ठ सांस्कृतिक जुड़ाव और बातचीत, लोगों में समग्र राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना प्रेरित करती है। यह राष्ट्र निर्माण की भावना और सभी को लाभ सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य भागीदार राज्यों के विभिन्न हितधारकों के बीच ज्ञान – प्राप्ति का इकोसिस्टम बनाना है, ताकि दो राज्यों के बीच संपर्क की स्थापना से वे दूसरे राज्य की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर उनसे लाभ प्राप्त कर सकें।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम की बेहतर समझ देशवासियों में अन्य संस्कृतियों को देखने व जानने के लिए उत्सुकता पैदा करती है। इस प्रकार वे पर्यटन और पर्यटन से लाभ प्राप्त करने वाले समुदायों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह बात, हम सभी को याद है कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कम से कम 15 पर्यटन स्थलों का दौरा करने के लिए सभी देशवासियों को प्रोत्साहित किया था। प्रधानमंत्री ने महसूस किया था कि इसके माध्यम से पूरे देश में पर्यटन का स्वत: विकास होगा और इसके साथ ही नागरिकों को देश के सुन्दर गंतव्यों और भारत की प्राकृतिक सुंदरता तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री के विज़न और नेतृत्व ने पर्यटन मंत्रालय की पहल 'देखो अपना देश' और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' जैसे कार्यक्रमों के बीच गहरे तालमेल और आपसी निकटता को संभव बनाया है। अधिक से अधिक वैक्सीन की डोज दिए जाने से, पर्यटन क्षेत्र जनवरी 2022 से पूरी क्षमता से कार्य करने में सक्षम होगा और 'अतुल्य भारत' की अंतर्निहित ताकत 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की मूल भावना का लाभ उठाकर समृद्धि प्राप्त करेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार(भारत, राज्यों का एक संघ है। इसका अर्थ है कि संघ का विनाश नहह्न हो सकता, अर्थात यह अविनाशी है। यह अनूठा संघ धर्मों, संस्तियों, जनजातियों, भाषाओं, व्यंजनों और लोगों का एक विविध संयोजन है। भारत जैसा कोई देश नहीं है, जो इतना विविध, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक हो, फिर भी साझी परंपराओं, संस्कृतियों और मूल्यों के प्राचीन बंधनों से परस्पर जुड़ा हो। हमारे देश की विविधता की रक्षा और संरक्षण करने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए अनगिनत बलिदानों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के साथ न्याय करना है, जिन्होंने 565 देशी रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने का महान कार्य किया था।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

एन.जी.टी.ने सरकार के आवेदनों को अस्वीकारा–सचिवालय में नही बन सकेगी लिफ्ट

- एन जी टी ने संविधान की धाराओं 48 A, 51 A (g) 300 A के परिदृश्य में दिया फैसला
- इस फैसले से 16–11–2017 के बाद हुये निर्माणों पर लगा प्रश्नचिन्ह
- ओक ओवर में लगी लिफ्ट और अन्य निर्माण भी आये सवालों में

शिमला/शैल। इस बार बारिशों के कारण हुये भूसख्लन से प्रदेश में जान माल का जितना नुकसान हुआ है उतना शायद पहले कभी नही हुआ है। चार सौ से अधिक लोगों की तो मौत हो चुकी है। हजारों करोड़ की संपति का नुकसान हुआ है। इस नुकसान के कारणों का पता लगाने के लिये जितने भी विशेषज्ञ विभिन्न स्थलों पर अध्ययन के लिये आये हैं सभी ने इसके लिये पर्यावरण विभाग को प्रमुख दोषी माना है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिये पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड केन्द्र से लेकर राज्यों तक गठित है। हर निर्माण के लिये इसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य बना दी गयी है। इस संद्धर्भ में उपजे विवादों के निपटारे और पर्यावरण नियमों की अवहेलना के लिये दोषियों को दण्डित करने के लिये एन जी टी गठित हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिये एन जी टी किस कदर और कितना गंभीर हुआ है इसका ताजा उदाहरण अभी 13 सितम्बर को आये एक फैसले में सामने आया है।

स्मरणीय है कि एन जी टी के समक्ष पुष्पा बरागटा पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र बरागटा और हिमाचल सरकार ने दो आवेदन 59/2021 और 60/2021 दायर किये थे। यह आवेदन These Misc. Applications have been filed in a decided matter for permission to raise constructions mentioned therein. In M.A. No. 59/2021, construction alleged to be involved is installation of a lift in the existing structure of the building along with remodeling of roof and in M.A. No. 60/2021, the construction alleged to be involved is lift and ramp for physically challenged persons in Ellerslie Main building at HP Secretariat, Shimla – 2, visitors' waiting hall for Chief Minister office, extension of car parking at Armsdale building at HP Secretariat, Shimla and multi-storey parking and office accommodation, Armsdale Phase–III, HP Secretariat at Shimla-2. We have heard learned counsel for the applicant on the issue of maintainability of such applications before this Tribunal in a decided matter, involving modification of order which has involved finality.

के उद्देश्य से दायर किये गये थे। इन आवेदनों को 13 – 09 – 2021 को एन जी टी ने अस्वीकार कर दिया है। इस अस्वीकार का आधार एन जी टी द्वारा ही 16 – 11 – 2017 को योगेंन्द्र मोहन सेन गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिया गया फैसला बना है। एन जी टी ने 16 – 11 – 2017 को जो निर्देश जारी किये थे उनके मुताबिक शिमला के कोर और ग्रीन क्षेत्रों में नये निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबन्द लगा दिया था। शिमला के प्लानिग क्षेत्र में भी अढ़ाई मंजिल से अधिक के निर्माणों पर रोक लगा दी थी ।

एन जी टी के इस फैसले के बाद भी सैंकड़ों निर्माण हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। इन सारे निर्माणों में अढ़ाई मंजिल की शर्त की अवहेलना हुई है। इस में सबसे रोचक किस्सा तो मुख्यमंत्री आवास का है। यह आवास कोर और ग्रीन दोनों में ही है। एन जी टी के फैसले के मुताबिक यहां पर कोई भी नया निर्माण इस आश्य के लिये बनाई गई कमेटियों की पूर्व अनुमति के बिना नही हो सकता है । लेकिन इन अनुमतियों के लिये भी जो मानदण्ड एनजीटी ने ही 16 – 11 – 2017 के फैसले में तय कर रखे हैं और अब दिये फैसले में भी उन्ही मानदण्डों को दोहराया है। उनके मुताबिक कोर – ग्रीन क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण संभव ही नही है। लेकिन मुख्यमंत्री आवास में जो निर्माण हुआ है मुख्य गेट के पास ही अब आगन्तकों की फरयादें सुनने और दूसरे लोगों से मिलने के लिये व्यवस्था तैयार की गई हैं। यही नही दो मंजिला आवास के अन्दर लिफ्ट तक लगा दी गई है। इसी परिसर के साथ एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इन निर्माणों से यह लगा था कि इनके लिये वांच्छित अनुमतियां ले ली गई होंगी।

लेकिन अब जिस ढ़ग से एन जी टी ने पुष्पा बरागटा और सरकार के आवेदनों को अस्वीकार किया है उससे मुख्यमंत्री आवास और परिसर में हुये निर्माणों पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि पुष्पा बरागटा का आवास भी ओक ओवर के नजदीक ही स्टोक्स प्लेस में है। यदि ओकओवर में लिफ्ट लगाने की अनुमति मिल सकती है तो सटोक्स प्लेस और सचिवालय के एलर्जली परिसर में क्यों नही? एन जी टी के इन्कार से यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि कहीं ओक ओवर में हुए यह निर्माण बिना अनुमतियों के तो नही है। एन जी टी के फैसले को पढ़ना तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है। फैसले की जानकारी नगर निगम और शहरी विकास विभाग को होना तो अनिवार्य है। शहरी और ग्रामीण विकास अधिनियम की धारा 28(1) में भी स्पष्ट उल्लेख है कि

Here it is relevant to discuss the provisions contained U/s 28(1) of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, Which reads as under:

When the Union Government or the State Government intends to carry out development of any land for the purpose of its departments or offices or authorities, the officer-in-charge thereof shall inform in writing to the Director the intention of the Government to do so, giving full particulars thereof, accompanied by such documents and plans as may be prescribed at least thirty days before undertaking such development

इसी की अनुपालना न किये जाने पर ही तो सर्वोच्च न्यायालय का मकलोड़गंज प्रकरण में फैसला आया और इस निर्माण को गिराना पड़ा। क्या इस सब के बारे में अधिकारियों ने जानबूझ कर मुख्यमंत्री को गुमराह किया है। क्योंकि इस परिदृश्य में एन जी टी के फैसले का राजनीतिक प्रभाव दूरगामी होगा।

क्योंकि जब 16 – 11 – 2017 को एन जी टी का फैसला आया था तब इस पर पूरे प्रदेश में प्रतिक्रियाएं उभरी थी। सरकार पर इस फैसले को बदलवाने के लिये दबाव आया था और सरकार ने वायदा किया था कि वह इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय मे जायेगी। इसी बीच सरकार ने नगर निगम को इस फैसले पर स्पष्टीकरण भेजा था। जिसके बाद निगम ने जिन लोगों के नक्शे एन जी टी का फैसला आने से पहले ही स्वीकार हो चुके थे और किन्ही कारणों से यह अनुमतियां जारी नही हो सकी थी ऐसे 21 लोगों को अनुमतियां जारी की है। इनके निर्माण इस फैसले के बाद हुये हैं। परन्तु व्यवहारिक रूप से इस फैसले के बाद तो दर्जनों निर्माण सामने आये हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ है यह अभी तक पहेली बना हुआ है। अब जो फैसला 13 – 09 – 2021 को आया है जिसमें पुष्पा बरागटा और सरकार के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है उसमें एन जी टी के संविधान की धारा 48(A) और 51 A(g)और 300 A के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये यह फैसला दिया है। इन प्रावधानों के आईने में तो प्राईवेट ही नही बल्कि सरकारी क्षेत्र में हो रहे निर्माणों पर ही गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं।

On cumulative reading of the laws referred, it is evident that the framers of the law clearly intended to protect natural resources and environment. The purpose is to effectively implement and enforce the laws and regulation relating to development and protection of environment. Then alone the twin objects- adherence to law and protection of environment and ecology could be achieved. Protection of environment and natural resources is absolutely essential for human existence. At the cost of repetition, we must notice that the concept of regularization of deviation from sanctioned plan cannot be brought in such an insidious manner. This is a limited and restricted power. The concept of compounding cannot be permitted to be used and diminish or even destroy the natural resources, environment and ecology. Irreparable damage to these would more often lead to disasters causing serious damage to person, property and environment. Another contention raised before the Tribunal by the applicants is that they have a right to construct over the lands of which they are the owners, even though the lands are located in Core area, Forest/ Green areas. This contention is misconceived in law as well as in the facts of the present case. On the one hand, the State and its instrumentalities have failed to discharge their Constitutional obligations in terms of Article 48A of the Constitution and the citizens have failed to discharge their Constitutional duties in terms of Article 51A(g) for protection and improvement of environment and forest etc. The right to construct on one's own land, particularly, in relation to prohibited area/restricted area have to be examined in light of the constitutional mandate. Article 19(f) was omitted by the 44th amendment of the Constitution and Article 300A was added. Article 300A even permitted a person to be deprived of his property by authority of law. The right to construction is, however, regulated by the Town and Country Planning Department and the Municipal laws in force in a State. In other words, it is not an absolute right by any stretch of imagination but is restricted and regulated right. Such statutory right can only be exercised, subject to the limitation and restrictions imposed and by complying with the prescribed procedure. Such restrictions are neither unknown nor unforeseeable.

There are statutorily notified eco-sensitive areas or sanctuaries or national parks where construction of any kind is prohibited. This is a reasonable restriction and is primarily imposed in the interest of environment ecology and bio-diversity. We have already noticed that the laws in force in the State of HP read with the constitutional provisions and Environment (Protection) Act, 1986, tilt the balance completely in favour of protection of environment and sustainable development. Restrictions in that behalf have to be imposed and enforced in accordance with law. Desired directions, whether prohibitory or regulatory in nature, restrictions and mandates of compliance should be passed when called for. We entertain no doubt in the facts and circumstances to pass appropriate declarations, guidelines and directions in this case that are required to be passed to not only to protect environment, ecology and natural resources but even life of public at large and their property.